(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. 98/22 ..... दिनांक 25/3/2022.....
2. (अ) अधिनियम ... .धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....473.....समय.....3:00 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 24.03.2022.... समय 01.44 पी.एम. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 23.03.2022 समय.....02.10 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पूर्व 13 किमी .....
(ब) पता – जी.एस.एस. बडलिया, एवीवीएनएल, अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री दिनेशनाथ.....
(ब) पिता का नाम श्री किशन नाथ.....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 29 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....चाय की थडी एवं पंचर निकालना .....
(ल) पता ... रेती मोहल्ला बडलिया, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर .....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री अमर सिंह रावत पुत्र श्री तेजाराम उम्र 25 साल जाति रावत निवासी गांव खाजपुरा हताई के पास, पुलिस थाना आदर्शनगर, अजमेर हाल हैल्पर प्रथम, सेंदरिया फिडर इन्चार्ज, कार्यालय सहायक अभियन्ता (प व स) मदार, एवीवीएनएल, अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....3,000रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....3,000रू0 रिश्वत राशि ..

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..... सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रंगे हाथो रिश्वत लेते पकडवाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं दिनेश नाथ रेति मोहल्ला बडलिया, जिला अजमेर का निवासी हूँ तथा मेरे मकान के पास ही मैने चाय की थडी एवं पंचर निकालने की दुकान खोल रखी हैं। मकान पर विधुत कनेक्शन मेरे स्वयम् के नाम था, जिसका बिल जमा नही करवाने से कनेक्शन कट गया। इसके बाद मकान व दुकान हेतु मैंने मेरे पिताजी श्री किशननाथ के नाम से कार्मशियल बिजली कनेक्शन ले रखा हैं। बिजली विभाग ने मेरे पिताजी के नाम के बिजली कनेक्शन के बिल में करीब एक माह पूर्व मेरे नाम के बिल के बकाया रूपये जोड़कर फरवरी माह का बिजली का बिल 27000 रूपये भेज दिये। इतना अधिक बिल आने पर मैने बिल जमा नही करवाया तथा श्री अमर सिंह लाईनमेन से सम्पर्क किया तो लाईनमैन अमर सिंह ने बिल आधा करवाने के नाम पर मेरे से 2000 रूपये मांगे तथा बिल जमा करवाने के नाम पर करीब 20–25 दिन पहले मेरे से 10,000रूपये ले लिये, जिसकी आज दिन तक रसीद नही दी। मैने रिश्वत नही दी तो आज अमर सिंह लाईनमेन मेरा बिजली का कनेक्शन काटने आ गया, जिस पर मैने रिश्वत के रूपये देने का आश्वासन दिया तथा बिल के शेष रूपये भी देने का आश्वासन दिया परन्तु अमर सिंह नही माना तथा कनेक्शन काट दिया। अमर सिंह अपने व बिजली विभाग के अन्य कर्मचारियो के लिए मेरा बिजली का बिल कम करवाने व बिजली का कनेक्शन वापस चालु करवाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा हैं। मैं उसे रिवश्त नही देना चाहता हूँ कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी, (दिनेशनाथ) निवासी रेति मोहल्ला, बडलिया, जिला अजमेर मोबाईल नम्बर 9588214437

–:: कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर::–

समय 02.10 पीएम **दिनांक 23.03.2022**

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री दिनेशनाथ पुत्र श्री किशननाथ भाटी जाति नाथ (योगी) उम्र 29 साल निवासी बड़लिया, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर ने उपस्थित कार्यालय हाकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के समक्ष पेश की। प्रस्तु प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया/ परिवादी ने

पूछने पर बताया कि ''मैं कक्षा 11 तक पढ़ा लिया हूॅ। पिंचर निकालने की वजह से मेरे हाथ मे सूजन आ रखी है, इसलिए रिपोर्ट में मेरे मिलने वाले से टाईप करवा कर लाया हूॅ। लाईमैन अमर सिंह मेरे पिताजी के नाम का बिजली का बिल कम करवाने के लिए बिल राशि के अलावा खर्चा पानी के नाम पर रिश्वत मांग रहा हैं। करीब 20–25 दिन पहले मेरे से बिल मेरे से बिल व 10 हजार बिजली विभाग मैं जमा करवाने के नाम पर ले लिये तथा रिश्वत नही दी तो आज कनेक्शन कार दिया। पहले 10 हजार दिये उसकी रसीद नही दी। आज मैने हाथाजोडी की तथा रूपये देने का आश्वासन दिया फिर भी नही माना व अमरसिंह ने कनेक्शन काट दिया और कहा कि मेरे खर्चे के रूपये तथा बिल कम करने पर शेष रूपये देने पर कनेक्शन जोड़ दूंगा। मै। अमर सिंह लाईनमैन को रिश्वत नही देना चाहता हूॅ। कार्यवाही करावें।''परिवादी ने अपने बिलो की जिनमें दिनेश नाथ के नाम का बिल दिनांक 03.02.21 व किशन नाथ का बिल दिनांक 07.01. 2 पेश किये, जिनमें बिल राशि क्रमशः 184 रूपये व 850 रूपये है प्रस्तुत किये व 27000 रूपये के बिल के बारे में बताया कि उक्त बिल अमर सिंह को दे दिया है। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी अमर सिंह लाईनमैन से कोई रंजिश व उधार का लेन–देन नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 को बुलाकर परिवादी श्री दिनेशनाथ से आपस में परिचय करवाया जाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी को ऑपरेट करना समझाया तथा बताया कि वह अमर सिंह लाईनमैन के पास जाकर अपने कार्य व रिश्वत की मांग के संबंध में वार्ता करे तथा होने वाली वार्ता को वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करें। वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी व कानि0 श्री ईशाक मोहम्मद को परिवादी की स्कूटी से वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन बडलिया गांव की तरफ रवाना किया। बाद सत्यापन कार्यवही श्री ईशाक मोहम्मद व परिवादी श्री दिनेशनाथ उपस्थित कार्यालय होकर परिवादी ने वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत कर बताया कि ''मेरी ग्राम बडलिया के पास पालरा शराब ठेके पर अमर सिंह लाईनमैन से मेरे कनेक्शन के संबंध में बता हुयी तो उसने अपने व अपने स्टॉफ वालो के खर्चे के 3000 रूपये रिश्वत के मांगे तथा 27000 रूपये के बिल मे 10 हजार रूपये पूर्व में लिये स्वीकार करते हुये 8000 रूपये बिल राशि के अलग से मांगे है।'' डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की ताईद हुयी। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 3000 रूपये एंव बिल पेटे जमा करायी जाने वाली राशि 8000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 24.03.22 को समय 10.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 24.03.2022 समय 10.30 एएम श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आया। स्वतन्त्र गवाहान को श्री सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर परिचय प्राप्त किया। इसी दौरान हस्ब तलविदा परिवादी श्री दिनेशनाथ भी उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् निरीक्षक पुलिस मीरा बेनीवाल को अपने कक्ष मे तलब कर परिवादी, दोनो गवाहान से आपस मे परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान एवं मन् निरीक्षक पुलिस को पढवाया गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से निकालकर दोनो गवाहान एवं मन् निरीक्षक पुलिस को रिकॉर्ड सत्यापन वार्ता के अंश सुनवाये गये। तत्पश्चात दोनों गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो उन्होने अपनी अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मैमोरी कार्ड के मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान, बमौजूदगी परिवादी के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 से टाईप करवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी क्रमशः अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपी हेतु तैयार की गयी। दोनो डीवीडी को पृथक पृथक बिना शिल्ड कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड के उसी पैकिंग कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क ''एम–1'' अंकित किया गया। सफेद कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये।

तत्पश्चात् समय 01.00 पीएम पर रूबरू गवाहान के परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 6 नोट कुल 3000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री दिनेशनाथ द्वारा पहने हाफ पेन्ट की पिछे की बांयी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादीगण एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। परिवादी को बिल पेटे दी जानी वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8000 रूपये के नोट प्रस्तुत किये गये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये तथा उक्त नोट पुन परिवादी को दिये जाकर पहनी हाफ पेन्ट की आगे की दांयी जेब में रखवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। परिवादी के मोबाईल नम्बर 9588214437 से आरोपी श्री अमरसिंह के मोबाईल नम्बर 9610848756 पर फोन मिलाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने बडल्या चौराहे पर स्थित पाउर हाउस पर ही मिलने के लिये बुलाया। परिवादी श्री दिनेशनाथ एवं श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 को परिवादी की स्कूटी से आगे आगे रवाना कर मन निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय स्टाफ के सदस्य श्री रामचन्द्र हैडकानि 58, श्री युवराज सिंह हैडकानि 120, श्री त्रिलोक सिंह कानि 24, श्री रविन्द्र सिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिंटर, मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित मय सरकारी वाहन चालक श्री सुरेश कानि 60 मय प्राईवेट वाहन के रवाना होकर बडलिया चौराहा अजमेर से करीब 200 मीटर पहले वाहनो को साईड मे रोककर परिवादी श्री दिनेशनाथ को लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सहित सुपुर्द कर बताया गया कि रिश्वत राशि देने के पश्चात श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 के मोबाईल नम्बर 823490115 पर फोन कर बताना कि पापा मैने बिल भर दिया है जिससे कि यह समझा जायेगा कि आरोपी ने रिश्वत राशि ले ली है। तत्पश्चात परिवादी को इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थित पावर हाउस की ओर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना कर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पिछे पिछे रवाना हो उक्त पावर हाउस के आस पास पहुंचकर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित इशारे में मुकिम हुये।

समय 01.44 पीएम पर परिवादी श्री दिनेशनाथ ने अपने मोबाईल नम्बर 9588214437 से श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 40 के मोबाईल नम्बर 8239490115 पर फोन कर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर कानि0 श्री ईशाक मोहम्मद के पास खड़े श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो को रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री त्रिलोक सिंह कानि0 24 को हमराह लेकर उक्त जी.एस.एस. कार्यालय के गेट पर खड़े कानि0 श्री ईशाक मोहम्मद व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को लेकर उक्त कार्यालय में प्रवेश किया। कार्यालय के बरामदे मे परिवादी श्री दिनेशनाथ खड़ा मिला, जिसने पास ही स्थित दाहिनी और बने कमरे में एक खाट ब्ल्यू रंग जींस व हल्का ओरेंज कलर टी–शर्ट पहने हुए दाढी वाले व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही अमरसिह लाईनमेंन है, जिसने अभी मेरे से बिल राशि 8000 एवं अपने खर्चे पानी के 3000 रूपये कुल 11,000 रूपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपने बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी में रख लिये हैं। इस पर उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो अपना नाम अमर सिंह पुत्र श्री तेजाराम उम्र 25 साल जाति रावत निवासी गांव खाजपुरा, पुलिस थाना आदर्शनगर, अजमेर हाल हैल्पर प्रथम, सेंदरिया फिडर इन्चार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता मदार, एवीवीएनएल, अजमेर होना बताया। उक्त श्री अमर सिंह को परिवादी की और ईशारा कर रिश्वत राशि प्राप्ति के संबंध में पूछा गया तो श्री अमर सिंह ने बताया कि ''मैने इससे कोई रिश्वत राशि नही ली, मैने तो इसके बकाया बिल की राशि ली हैं।'' इस पर पास ही खड़े परिवादी श्री दिनेशनाथ ने आरोपी के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि ''श्री अमर सिंह लाईनमेन झूंठ बोल रहे हैं, इन्होंने आज से 20–25 दिन पहले

मेरे से बिल जमा कराने के नाम पर 10,000 रूपये ले लिये जिसकी अभी तक रसीद नही दी तथा कल मेरा विधुत कनेक्शन भी काट दिया और खर्चे पानी के रूपये मांगे, जिस पर मैने आपके कार्यालय में शिकायत की। आपके द्वारा दिये गये रिकार्डर को लेकर मैं अमरसिंह के पास आया तथा इनसे मेरे कनेक्शन व बिल के बारे मे बात की तो इन्होने 27000 रूपये के बिल के स्थान पर 18000 रूपये में समायोजन करने की कहते हुए 8,000 रूपये बिल राशि के तथा 3000 रूपये अपने खर्चे के रिश्वत के मांगे।'' इस पर आरोपी श्री अमर सिंह से पुनः पूछा कि आपने 10,000 रूपये पूर्व में और 8,000 रूपये आज बिल राशि के लिए है तथा 3,000 रूपये अपने खर्चे पानी के रिश्वत के लिए हैं, जिसके संबंध में कल दिनांक 23.03.22 को आपसे परिवादी की हुई वार्ता की रिकार्डिंग हैं। इस पर श्री अमरसिंह ने कहा कि ''हॉ कल मेरी इससे मेरी पालरा शराब के ठेके पर बात हुई थी, तब मैने इससे कहा कि 10,000रूपये, जो पहले दिये है उनके अलावा 8–9 हजार रूपये बिल के और देने पड़ेंगे तथा 3,000 रूपये मैंने अपने खर्चे के और पुनः कनेक्शन करने के नाम से मांगे थे। इसने जो 10,000रूपये मेरे को पहले दिये, उसकी रसीद मेरे पास रखी हुई है, इसने रूपये मुझे 20–25 दिन पहले दे दिये थे परन्तु रसीद मैने कल शाम को कटवायी थी।'' इस पर श्री अमरसिंह को पुनः पूछा कि आपने कल परिवादी श्री दिनेशनाथ से जो वार्ता की है, उसमें आपने कहा कि ''3000 रूपये में से 1000 रूपये आगला न देउ, 1000 रूपये मेरे साथ आला न देउ।'' अगला व्यक्ति और आपके साथ वाला व्यक्ति कौन हैं। इस पर श्री अमर सिंह ने कहा कि ''तीन हजार रूपये मैने मेरे लिये ही लिये हैं, मैने वैसे ही कहा था।'' आरोपी श्री अमर सिंह को पूछा कि आपने परिवादी श्री दिनेशनाथ से 20–25 दिन पहले 10,000 रूपये लिये और रसीद कल दिनांक 23.03.22 को क्यों कटवायी तथा कल ही कनेक्शन क्यों काटा। इस पर आरोपी श्री अमर सिंह ने बताया कि ''वैसे तो रूपये हमारे को लेने का कोई अधिकार नही हैं उपभोक्ता सीधे ही ई–मित्र अथवा कैश काउन्टर पर जमा करा देते हैं, व्यवहार में कुछ उपभोक्ता के रूपये हम लेकर भी जमा करवा देते हैं। कनेक्शन काटने का जेईएन द्वारा कोई ऑर्डर नही दिया गया था। लेकिन 11.03.22 को जेईएन मेडम ने सात डिफ्ाल्टर उपभोक्ता की रिपोर्ट मुझे दी थी और कहा था कि जो पैसे जमा नही करवाये, उनके कनेक्शन काट देना।'' आरोपी श्री अमर सिंह को रिश्वत राशि 3000 रूपये व बिल राशि 8000 रूपये के संबंध में पूछा तो अपनी पहनी हुई ब्ल्यू रंग की जींस पेंट की बांयी जेब में होना बताया। तत्पश्चात् जीएसएस ग्रीड में बैठकर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई तथा ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर ग्रीड कक्ष मे रखी पानी की बोतल से दो साफ कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री अमर सिंह के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर सभी ने दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को मार्क क्रमंशः आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री अमर सिंह की निशादेही से उसकी पहनी ब्ल्यु जींस पेंट की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री प्रकाश देवनानी से लिवायी गयी तो पेंट की जेब मे से 500–500 रूपये के 22 नोट कुल 11,000 रूपये होना गवाह द्वारा बताया गया। जिनका मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो फर्द में अंकित क्रम संख्या 1 से 6 तक के रिश्वती नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया गया। जिनका विवरण इस प्रकार हैं :–

1 पांच सौ रुपये का नोट नम्बर 5PL689772

2	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7AR695216
3	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0MH733134
4	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	5NN987382
5	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4WB639595
6	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7EA427164

उक्त बरामदशुदा नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। शेष बिल की राशि के 8,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत से गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो को मिलान हूबहू होना पाया गया। चूंकि उक्त राशि 8000रूपये परिवादी के बिल की राशि होने से गवाह श्री प्रकाश देवनानी के पास सुरक्षित रखवायी गयी। इसके पश्चात् श्री अमर सिंह के पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाया गया व उक्त कक्ष में ही पड़ी एक अन्य पेंट पहनाई गई तथा एक साफ गिलास को पुनः साफ कर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उपरोक्तानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में उक्त पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पेंट की जेब मे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क 'पी' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अमर सिंह ने अपने बैग से परिवादी के पिता श्री किशननाथ के नाम के विधुत कनेक्शन के बिल पेटे जमा करवायी गयी 10000 रूपये की रसीद संख्या 22430376637 दिनांक 23.03.22 एवं डिफ़ाल्टर कंज्यूमर रिपोर्ट दिनांक 11.03.22 पेश की, जिस पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल, मदार को जरिये दूरभाष परिवादी के पिता श्री किशननाथ के नाम के विधुत बिल से संबन्धित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु बताया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को वॉयस रिकार्डर चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। कुछ समय बाद सुश्री पारूल शाख्या कनिष्ठ अभियन्ता, एवीवीएनएल, मदार मय सुश्री दीपिका मकवाना, सहायक राजस्व अधिकारी मय रिकार्ड के उपस्थित आयी। सुश्री पारूल साख्या ने पूछने पर बताया कि ''श्री किशननाथ कस्टमर, जिसके खाता संख्या 419/006 हैं कि पत्नी श्रीमती शांति देवी जिसके खाता नम्बर 2407/912 हैं के 13754 रूपये एवं उक्त कस्टमर के पुत्र श्री दिनेश नाथ, जिसके खाता नम्बर 2409/510 हैं के 10191 रूपये बकाया चल रहे है तथा उक्त दोनो कनेक्शन पूर्व में काटे जा चुके है परन्तु उक्त बिल राशियो की वसुली नही होने से श्री किशननाथ कस्टमर खाता संख्या 419/006 के बिल में दिनांक 10.01.22 को जोड़े गये हैं। इस प्रकार कस्टमर श्री किशननाथके वर्तमान कनेक्शन 419/006 के जनवरी बिल राशि 850, फरवरी बिल राशि 944 रूपये एवं मार्च के बिल की राशि 616 रूपये एवं पेनल्टी राशि क्रमशः 16 रूपये, 514 रूपये, 526 रूपये कुल 3466 रूपये सहित मार्च माह का बिल 27445 रूपये बकाया थे, जिसमें से कल दिनांक 23.03.22 को 10,000 रूपये जमा करवाये गये हैं। श्रीमती पारूल साख्या को परिवादी के पिता श्री किशननाथ के बिल में उसके परिवार वालो की पूर्व की बकाया राशि को जोड़ने के संबंध में नियमो के बारे में पूछा गया तो बताया कि नियमों के संबंध में मुझे जानकारी नही है, इस संबंध में विभागीय आदेश हैं, जो मेरे पास उपलब्ध नही हैं। सुश्री दीपिका मकवाना ने परिवादी के पिता श्री किशननाथ के कस्टमर खाता संख्या 419/006 से संबन्धित रिकार्ड, बिल इत्यादि की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की, जिसको बाद अवलोकन शामिल रिकार्ड किया गया। बिल राशि कम करने के संबंध में पूछने पर बताया कि सेटलमेंट में ही राशि कम करने की सुनवायी की जा सकती हैं। अधिशाषी अभियन्ता एवं उससे उपर की रेंक के अधिकारी

बिल राशि के अनुसार अधिकृत हैं। श्री किशननाथ कस्टमर द्वारा हमारे कार्यालय में उक्त बिल राशि 27445 रूपये में से कम कराने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था, यदि इसके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता तो सेटलमेंट कमेटी में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाता। आरोपी श्री अमर सिंह द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई बिल राशि 8,000 रूपये, जो गवाह श्री प्रकाश देवनानी के पास रखवायी गई थी, उक्त राशि की सहायक अभियन्ता कार्यालय एवीवीएनएल, मदार से परिवादी के पिता श्री किशननाथ के खाते में जमा करवाकर रसीद संख्या 11043201618522 दिनांक 24.03.22 राशि 8000 प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री अमर सिंह हैल्पर प्रथम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ मय गवाह मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर मय जब्तशुदा आर्टीकल एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय अजमेर पहुंची। दोनो गवाहान को दिनांक 25.03.2022 को 10.00 एएम पर उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर रूखस्त किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल जमा मालखाना करवाये गये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 25.03.22 को परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड परिवादी व आरोपी श्री अमर सिंह रावत हैल्पर प्रथम के मध्य हुई रिश्वत लेन–वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त वार्ता की दो डीवीडी एक आरोपी एवं एक अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की जाकर कागज के लिफाफे में रखी गई। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड के उसी पैकिंग कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क ''एम–2'' अंकित किया गया। सफेद कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। जब्तशुदा मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री अमर सिंह, हैल्पर प्रथम द्वारा परिवादी श्री दिनेशनाथ के पिता श्री किशननाथ के नाम के बिजली के कनेक्शन के माह मार्च के बिल राशि 27445 रूपये मे से राशि कम करने एवं विधुत कनेक्शन पुनः चालु करने की एवज में वक्त सत्यापन दिनांक 23.03.22 को परिवादी से 10,000 रूपये पूर्व में प्राप्त राशि के अतिरिक्त 8,000 रूपये बिल राशि के एवीवीएनएल में जमा कराने हेतु एवं 3,000 रूपये बिल राशि कम कराने एवं कनेक्शन पुनः चालु करने की एवज में मांग करना एवं मांग अनुसार आज दिनांक 24.03.22 को आरोपी श्री अमर सिंह हेल्पर प्रथम द्वारा परिवादी से बिल की राशि 8,000 रूपये एवं रिश्वत राशि 3,000 रूपये ग्रहण की जो बिल राशि 8000 एवं रिश्वत राशि 3,000 रूपये आरोपी श्री अमर सिंह के पहनी हुई पेंट की बांयी जेब से बरामद हुई हैं तथा आरोपी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं पेंट की जेब का धोवण हल्का गुलाबी आना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री अमर सिंह हैल्पर प्रथम का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया गया हैं। आरोपी श्री अमर सिंह रावत के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे प्रेषित है।

(मीरा बेनीवाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अमर सिंह रावत, हैल्पर प्रथम, सेंदरिया फिडर इन्चार्ज, कार्यालय सहायक अभियंता (प.व. स.) मदार, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 98/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25/3/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 867-71 दिनांक 25.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव, प्रशासन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।